चित्रकूट-पुलिस

(1). चित्रकूट पुलिस द्वारा किया गया अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़
02 अभियुक्त गिरफ्तार
भारी मात्रा में निर्मित, अर्द्धनिर्मित शस्त्र, कारतूस एवं शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री सत्यमपति त्रिपाठी तथा उनकी टीम द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भण्डाफोड़ करते हुये, शस्त्र निर्माण करने वाले 02 अभियुक्तों को भारी मात्रा में निर्मित, अर्द्धनिर्मित शस्त्र, कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1.धनराज पटेल पुत्र श्री शिवचरण पटेल उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्रा0 रैपुरवा माफी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

2.प्रिन्सू सोनी पुत्र गोरेलाल सोनी उम्र 23 वर्ष निवासी ग्रा0 बबेरू थाना बबेरू जनपद बांदा व हाल पता (किराये का मकान) मंदाकिनी भवन के पास चित्रकूट सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

बरामदगी-

(1).10 अदद निर्मित व 02 अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र (विभिन्न बोर के)

(2).15 अदद कारतूस (विभिन्न बोर के)

(3).01 अदद भट्ठी लोहे की

(4).01 अदद ड्रिल मशीन

(5).01 अदद ग्लाइण्डर मशीन

(6).05 अदद नाल(विभिन्न बोर के)

(4). शस्त्र बनाने के अन्य उपकरण

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

स्थान- रैपुरवा मोड से करीब 800 मी0 दूर पहाड़ के नीचे पानी के बहाव के गड्ढ़ा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट, **दिनाँक** 16.05.2024 **समय-**03:45 (सुबह)

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

आज दिनांक 16.05.2024 को चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री सत्यमपति त्रिपाठी एवं उनकी टीम थाना क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत शान्ति व्यस्था बनाए रखने हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी कि ग्राम रैपुरवा माफी का रहने वाला धनराज पटेल रैपुरवा मोड़ से करीब 800 मी0 दूर पहाड़ के नीचे पानी के बहाव के गड्ढ़ा मे अपने साथी के साथ भट्टी जला कर अवैध शस्त्रों का निर्माण कर रहा है। इस सूचना पर चौकी प्रभारी शिवरामपुर अपनी टीम के साथ मुखविर द्वारा बताये हुए स्थान पर पहुँचे एवं पुलिस टीम ने बताये गये स्थान को

चारों तरफ से घेर कर पहाड़ी के नीचे पानी के बहाव के गड्ढ़े से अभियुक्त 1.धनराज पटेल पुत्र श्री शिवचरण पटेल उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम रैपुरवा माफी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 2.प्रिन्सू सोनी पुत्र गोरेलाल सोनी उम्र 23 वर्ष निवासी ग्रा0 बबेरू थाना बबेरू जनपद बांदा व हाल पता (किराये का मकान) मंदाकिनी भवन के पास चित्रकूट सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। मौके से गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के कब्जे से 06 अदद तमंचा 315 बोर, 02 तमंचा 12 बोर, 01 अदद देशी बंदूक 12 बोर, 01 अदद निर्मित तमंचा जो चालू हालत मे नही है, 02 अदद अर्द्धनिर्मित तमंचा 12 बोर, 06 अदद कारतूस 12 बोर, 01 कारतूस 315 बोर, 05 खोखा कारतूस 12 बोर, 03 खोखा कारतूस 315 बोर, 03 अदद नाल 315 बोर, 02 अदद नाल 12 बोर, 01 अदद ड्रिल मशीन, 01 अदद ग्लाइण्डर मशीन, 01 अदद लोहे की भट्टी एवं शस्त्र बनाने के अन्य उपकरण बरामद हुये। अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0-338/2024 धारा-5/25 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री सत्यमपति त्रिपाठी

2.चौकी प्रभारी जिला कारागार रगौली श्री राजीव सिंह

3.आरक्षी श्यामू

4.आरक्षी नरेन्द्र कुमार

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत के अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी सरैंया श्री यदुवीर सिंह तथा उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कस्बा सरैंया स्थित ब्रह्मदेव बाबा मंदिर बाहद कस्बा सरैंया में छापेमारी की गयी तो मौके से अभियुक्त 1. रामकिशोर पुत्र स्व0 गंगा प्रसाद निवासी गड़ार का पुरवा मजरा सरैंया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया जो अपने साथियों के साथ मिलकर ताश के पत्तों पर हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहा था तथा मौके से अभियुक्त 1.विशाल उपाध्याय पुत्र बालकृष्ण 2.कुल्दीप यादव पुत्र उदयभान निवासीगण गड़ार का पुरवा मजरा सरैंया 3. तुवा उर्फ मोनू पुत्र शिवकेश निवासी माराचन्द्र थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट व 02-03 व्यक्ति नाम पता अज्ञात मौके से भाग गये। मौके से मालफड़ 2200/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामा तलाशी से 500/- रुपये तथा 03 अदद मोटरसाइकिल बरामद हुयीं। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बरामदशुदा मोटरसाइकिलों को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

बरामदगी-

1. मालफड़ से 2200/- रुपये
2. 52 अदद ताश के पत्ते

3 जामा तलाशी से 500/- रुपये

4.03 दद मोटरसाइकिल

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.चौकी प्रभारी सरैंया श्री यदुबीर सिंह

2.उ0नि0 यूटी श्री सौरभ गौतम

3.आरक्षी मनोज कुमार

4.आरक्षी राजमंगल

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को देखते हुये सुरक्षा के दृष्टिगत प्रभारी सर्विलांस/एसओजी श्री एम.पी. त्रिपाठी के मार्गदर्शन में सर्विलांस टीम द्वारा कस्बा पहाड़ी के विसण्डा रोड, बरेठी रोड, नांदी चौराहा, नांदी रोड, कर्वी रोड एवं पहाड़ी गांव में विभिन्न स्थानों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की गयी। इस दौरान सर्विलांस/एसओजी प्रभारी द्वारा आसूचना के आधार पर कुछ संदिग्ध वाहनों की चैकिंग की गयी। आगे भी पूरे जनपद के नगरों, कस्बों, ग्रामीण इलाकों एवं वन क्षेत्रों की निगरानी निरन्तर ड्रोन कैमरे के माध्यम से की जायेगी

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राजोल नागर तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त कालीचरन पुत्र रामशरण निवासी ऐलहा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

20 क्वार्टर देशी शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री राजोल नागर थाना मानकिपुर

2.आरक्षी दीपेश कुमार

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशांत कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विकास कुमार प्रथम द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 350/2022 धारा 147,148,149,452,307,342,323,324,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.हर्षित पटेल पुत्र पुरुषोत्तम पटेल 2.गुम्मा उर्फ जयसिंह पुत्र रिंकू 3.जयप्रकाश उर्फ रिंकू पुत्र जियालाल निवासीगण गोकुलपुरी शंकर थाना 4. पारस वर्मा पुत्र प्रेमशंकर वर्मा निवासी मुलायम नगर कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10500/-10500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.08.2022 को वादी श्री नारायणदत्त त्रिपाठी पुत्र कृष्ण औतार त्रिपाठी निवासी गोकुलपुरी शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रत्रकूट द्वारा कोतवाली कर्वी में सूचना दी थी कि अभियुक्त हर्षित पटेल, गुम्मा उर्फ जयसिंह, जयप्रकाश उर्फ रिंकू, पारस वर्मा उपरोक्त ने एक रायहोकर घर में घुसकर वादी के पुत्र को जान से मारने की नियत से चाकू,डंडों से हमला कर लहूलुहान कर दिया तथा वादी की पत्नी को कमरे में बंद करके गाली-गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी दी है । इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी मु0अ0सं0 350/2022 धारा 147,148,149,452,307,342,323,324,504,506 भादवि0 बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण के पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना क्राइम ब्रांच चित्रकूट के निरीक्षक श्री राजेश कुमार द्विवेदी द्वारा की गयी तथा विवेचक द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 21.11.2022 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(6). जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिषेक आनन्द तथा पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह ने आज लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल निष्पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने को लेकर अंतर्राज्यीय बॉर्डर जनपद रीवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत जनपद चित्रकूट के मडहा में बने चेकिंग बूथ, बरगढ़ मोड, छिवलहा मोड, लालता रोड,

अंतर्जनपदीय वाजपेई तिराहा राजापुर में लगे एफएसटी, एसएसटी टीम एवं पुलिस अधिकारियों की टीम द्वारा चेकिंग का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने टीम में लगे अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए की वाहनों की चेकिंग अच्छी प्रकार से कराई जाए चेकिंग का एक रजिस्टर भी बनाया जाए जिसमें वाहनों की संख्या संबंधित व्यक्तियों के मोबाइल नंबर अवश्य अंकित किए जाए। उन्होंने सभी एफएसटी एवं एसएसटी टीम के अधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधिकारी कर्मचारी लगातार मतदान के दिन तक सतर्क दृष्टि रखते हुए निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराए।
निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी मऊ श्री राकेश कुमार पाठक, राजापुर श्री प्रमोद कुमार झा, खंड विकास अधिकारी मऊ श्री राम जी मिश्रा, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत श्री बी एन कुशवाहा, थानाध्यक्ष मऊ श्री अजीत कुमार पांडेय सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

(7). जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिषेक आनन्द तथा पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह ने आज लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर फायर सर्विस स्टेशन मऊ ,राजापुर एवं सुषमा स्वरूप इंटर कॉलेज अशोह में ठहरे एस एस बी एवं पीएसी के पुलिस बल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक एस एस बी एवं पुलिस पीएसी पुलिस कमांडरों से ठहरने की व्यवस्था, खानपान, पेयजल आदि सभी व्यवस्थाओं की जानकारी ली,एस एस बी फायर स्टेशन मऊ में कमांडर द्वारा अवगत कराया गया की विद्युत की कटौती होती है जिस पर जिलाधिकारी ने तत्काल अधिशासी अभियंता विद्युत राजापुर को सख्त निर्देश दिए की विद्युत व्यवस्था लगातार निर्वाद्ध रूप से संचालित रहे।
इस अवसर पर उप जिलाधिकारी मऊ श्री राकेश कुमार पाठक, राजापुर श्री प्रमोद कुमार झा, खंड विकास अधिकारी मऊ श्री राम जी मिश्रा, तथा एस एस बी एवं पीएसी के पुलिस कमांडर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

(8). जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिषेक आनन्द तथा पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह ने आज लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024को सकुशल एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने को लेकर 237- मानिकपुर विधानसभा के बरन्लेबुल बूथ संख्या 64 व 65 कंपोजिट विद्यालय हन्ना विनैका विकासखंड रामनगर, एवं आदर्श मतदान केंद्र कंपोजिट विद्यालय राजापुर के बूथ संख्या 9, 10, 11 व 12 का निरीक्षण कर पेयजल, शौचालय, रैम्प, फर्नीचर, छाया, विद्युत आदि सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी रामनगर श्री एनपी सिंह को निर्देश दिए की कंपोजिट विद्यालय हन्ना विनैका में छाया एवं ठंडा जल की व्यवस्था मतदान के दिन अवश्य करें, उन्होंने कंपोजिट विद्यालय राजापुर के निरीक्षण पर उप जिलाधिकारी राजापुर तथा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत राजपुर को निर्देश दिए कि इस मतदान केंद्र को आदर्श बूथ बनाया जाए इसमें छाया पानी आदि सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें। उन्होंने बूथ लेवल ऑफीसरों से कहा कि मतदाता पर्ची शत प्रतिशत बंट जाना चाहिए, अगर कोई मतदाता नहीं मिलता है तो मतदान के दिन मतदान स्थल पर बैठकर उन्हें उपलब्ध कराएंगे, उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर मुख्य रूप से समियाना व टेंट लगाकर छाया, ठंडा पानी, शौचालय, मेडिकल की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि 20 मई 2024 को होने वाले मतदान में अपने घरों से बाहर निकल कर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें फिर जलपान करें।
निरीक्षण में उप जिलाधिकारी मऊ श्री राकेश कुमार पाठक, राजापुर श्री प्रमोद कुमार झा, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत राजपुर श्री बी एन कुशवाहा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।